न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 254/2017 (जीसीएमएस नम्बर 2017/00162)

1. रामेश्वर लाल पुत्र स्वर्गीय श्री घीसाराम (दौराने अपील मृतक)
1/1. श्रीमती सन्तोश देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल
1/2. अंकित वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल,
1/3. प्रिया पुत्री स्वर्गीय श्री रामेवश्वर
जाति बलाई, निवासी ग्राम हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. मदन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम ग्राम हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. रतनी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादू पत्नी श्री गुलाबचन्द जाति बलाई, निवासी ए–17/339, प्रताप नगर, लेबर कॉलोनी, भीलवाडा (राजस्थान)
2. मुन्नी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादू पत्नी श्री सुवालाल, जाति बलाई निवासी एन–512, संजय नगर, अजमेर रोड, जयपुर(राजस्थान)
3. चन्दा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादू पत्नी श्री बिहारीलाल, निवासी ग्राम बेगस, तहसील व जिला जयपुर। (राजस्थान)
4. कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपनारायण उर्फ पूरणमल, जाति बलाई
5. हेमराज पुत्र स्वर्गीय श्री रूपनारायण उर्फ पूरणमल, जाति बलाई निवासी ग्राम हिरनोदा, तहसील–फुलेरा, जिला जयपुर हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज–किशनगढ, जिला अजमेर (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय–सांभरलेक जिला–जयपुर (राजस्थान)
7. ग्राम पंचायत हिरनोदा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत हिरनोदा, तहसील फुलेरा जिला–जयपुर (राजस्थान)

–रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू–अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील–फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर दिनांक मोजमाबाद तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 02.06.2017 प्रकरण संख्या 01/2017 उनवानी रामेश्वर लाल वगै0 बनाम रतनी देवी वगै0

उपस्थित–

1. श्री घीसालाल कुमावत,वकील अपीलान्ट ।
2. श्री जयप्रकाश, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –04.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक (जयपुर) के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा अपील संख्या 11/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 द्वारा ग्राम हिरनोदा के नामान्तरकरण संख्या 196 को निरस्त कर पक्षकारान की विवादित आराजी खसरा नं. 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा की आराजी में खातेदार लादू पुत्र देवा जाति बलाई के वारिसों की जांच कर दोनों पक्षों की युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करने संबंधी आदेश दिये गये एवं माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर की अपील संख्या 289/16 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2016 के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही में अपीलान्ट को भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत करने का एवं समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभर लेक ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.06.2017 से यह निर्णय पारित किया गया कि लादू की विरासत में उसकी पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात तीन पुत्रियों व एक पुत्र होना जाहिर है। लादू के पुत्र का नाम रूपनारायण या पूरणमल अथवा दोनों एक ही व्यक्ति होने संबंधी विवाद के संबंध में हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात निर्णय अनुसार तथा शेष हिस्सा 3/4 का नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः लादू पुत्र देवा जाति बलाई निवासी हिरनोदा के नाम ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नं0 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा में लादू की विरासत का नामान्तरकरण रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी पुत्रीया लादू हिस्सा 3/4 हि.ब. के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा शेष हिस्सा 1/4 वर्तमान जमाबंदी अनुसार अपीलांट मदनलाल पुत्र बंशीलाल व रामेश्वर लाल पुत्र घीसाराम बलाई सा.देह के नाम यथावत रहेगा के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामेश्वर लाल पुत्र स्वर्गीय श्री घीसाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर दिनांक 02.06.2017 निरस्त किये जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1995 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि अपीलान्ट्स की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर–702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा, तहसील–फुलेरा, जिला–जयपुर (राजस्थान) में स्थित है। जिस पर अपीलान्ट्स अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर प्राकृतिक उपज का उपयोग–उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा लगान सरकार को अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी को अपीलान्ट्स संख्या–1 व अपीलान्ट संख्या–2 के पिता बंशीलाल पुत्र श्री घीसालाल ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07/01/1989 को रूपनारायण पुत्र श्री लादू बलाई से क्रय कर प्रतिफल राशि देकर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त हुए, तब से लेकर आज दिनांक तक लगातार बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विक्रय पत्र दिनांक 07/01/1989 के आधार पर नामान्तकरण संख्या–627, दिनांक 15/06/1989 को स्वीकार किया गया तथा जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। उसके पश्चात् बंशीलाल का स्वर्गवास हो गया, जिसका विरासत का नामान्तकरण संख्या–7217 दिनांक 20/05/2016 खोला जाकर स्वीकार किया गया तथा बंशीलाल के वारिसान में पत्नी रामा देवी, पुत्रियां सन्तोष, मंजू, तारा, रेखा ने मदनलाल के हक में हक त्याग

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट्स संख्या–2 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा। यह कि दिनांक 21/06/2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक में अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये बिना ही विरासत नामान्तकरण संख्या–196 दिनांक 25/10/1975 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें उल्लेख किया कि रूपनारायण का नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और उक्त नामान्तकरण रूपनारायण पुत्र लादू के नाम से गलत खोला गया है, इसलिए निरस्त फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जिला–जयपुर ने बिना नोटिस दिये बिना बचाव व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिनांक 21/06/2016 को पारित कर नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 को निरस्त कर तहसीलदार फुलेरा, मुख्यालय–सांभरलेक, जिला–जयपुर को रिमाण्ड कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या–289/2016 प्रस्तुत की गयी, जिसका निर्णय दिनांक 28/11/2016 को किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रति प्रेषित किया गया, उक्त आदेश दिनांक 28/11/2016 के विरूद्ध अपीलान्ट्स के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या–6/2017 प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फुलेरा, मुख्यालय–सांभरलेकर, जिला–जयपुर ने अपीलान्ट्स के दस्तावेजों साक्ष्य सबूत को नजर–अन्दाज कर अवैध व अनुचित रूप से निर्णय दिनांक 02/06/2017 को पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट्स श्रीमान् न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :– आदेश अधीन अपील सही तथ्यों, रिकॉर्ड एवं न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी कॉन्ट्रेरी टॅ लॉ पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है, इसलिए अधीन अपील निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य–सबूतों, गिरदावर की रिपोर्ट व शपथ पत्रों पर बिना ध्यान दिये ही मनमाने ढंग से अधीन अपील निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। निर्णय दिनांक 28/11/2016 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को देने के बावजूद भी तहसीलदार ने अधीन अपील निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय हैं। यह कि अपीलान्ट्स बोना फाईड परचेसर्स है तथा आराजी खसरा नम्बर–702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा, तहसील–फुलेरा, जिला–जयपुर (राजस्थान) का सम्पूर्ण भुगतान कर रेस्पोडेन्ट्स के पूर्व हकधारी से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विकय पत्र दिनांक 07/01/1989 के आधार पर अपीलान्ट्स संख्या–एक व अपीलान्ट्स संख्या–2 के पिता के नामान्तकरण संख्या–627 दिनांक 15/06/1989 को खोला जाकर स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट्स राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर उक्त आराजी पर लगभग 28 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा रेस्पोडेन्ट्स की जानकारी में अपीलान्ट्स का कब्जा विक्रय पत्र दिनांक 07/01/1989 से है। रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर 28 वर्षों से किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है इसलिए रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई हक हकूक सृजित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान दिये बिना ही अधीन अपील निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार है, जिसकी खातेदारी नामान्तकरण जैसी फिसकल प्रोसिडिंग से समाप्त नहीं की जा सकती तथा नियमित वाद के द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट के कोई अधिकार है भी तो नियमित वाद में ही तय हो सकते है। नामान्तकरण जैसी फिसकल प्रोसिंडिग से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो सकते, इसलिए अधीन अपील निर्णय निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी लादू पुत्र देवा ने गंगाराम बल्द नानगा से जरिए विक्रय पत्र कय की है, जिसका नामान्तकरण संख्या–63, दिनांक 11/12/1963 को खोला जाकर स्वीकार किया है। लादू पुत्र देवा का स्वर्गवास सन् 1972 में हो गया है, जिसका

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विरासत का नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 को रूपनारायण पुत्र श्री लादू के नाम स्वीकार किया गया है। रूपनारायण वल्द लादू के नाम नामान्तकरण स्वीकार होने के पश्चात् रूपनारायण पुत्र लादू वादग्रस्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार हो गया था तथा रूपनारायण पुत्र लादू के नाम नामान्तकरण ग्राम पंचायत के मजमे आम में खोला गया है, जिसको रेस्पोडेन्ट ने रूपनारायण उर्फ पूरणमल के जीवनकाल में कभी भी चुन्नौती नहीं दी है। लादू के स्वर्गवास के पश्चात् रूपनारायण उर्फ पूरणमल ने मुन्नी देवी, रतनी देवी, चन्दा देवी की शादियां की जिससे उस पर भारी कर्ज हो गया था। इसलिए रूपनारायण, मुन्नी देवी, रतनी देवी, चन्दा देवी, रूकमणी पत्नी लादू ने उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण अकेले रूपनारायण पुत्र लादू के नाम खुलवाने की मौखिक सहमति दे दी, उसके पश्चात् कर्जा चुकाने के लिए उक्त भूमि का बेचान अपीलान्ट्स को कर कर्जा चुका दिया तथा ग्राम–हिरनोदा से ग्राम मदनगंज–किशनगढ़, जिला–अजमेर चले गये और वहां पर कुछ रूपयों से मकान बनाकर रहने लग गये तथा मदनगंज–किशनगढ के ही दस्तावेज राशन कार्डस पहचान पत्र, निर्वाचन कार्ड इत्यादी बनवा लिये है तथा वर्ष 2016 में रेस्पोडेन्ट्स की नियत में खोट आ गया तथा अपीलान्ट्स की भूमि को हडप करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी–सांभरलेक, जिला–जयपुर के समक्ष न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रोजडी में अपील संख्या–11/2016 प्रस्तुत कर बाला–बाला बिना अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये निर्णय पारित करवा लिया। जबकि नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 में रतनी वगै0 पक्षकार नहीं थे, बिना धारा– 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना अपील की अनुमति लिए बिना ही अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो कानून का उल्लंघन कर पारित किया गया तथा मियाद के बिन्दू पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। जो कानूनी बिन्दू है, जिस पर निर्णय पारित किया जाना कानूनन आवश्यक है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने भी मियाद के बिन्दू पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है, इसलिए आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट के अगर कोई अधिकार है भी तो रेस्पोडेन्ट रूपनारायण उर्फ पूरण मल के वारिसान से अपने हिस्से के रूपये प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और रूपनारायण उर्फ पूरणमल ने वादग्रस्त भूमि बेचकर कर्जा चुकाया और मदनगंज–किशनगढ में मकान बनवाया है, उसमें हिस्सा प्राप्त कर सकते है। वादग्रस्त भूमि रेस्पारेडेन्ट् की जानकारी में व उनकी सहमति से बेचान की गयी है। इसलिए उनको वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में 28 वर्ष पश्चात् कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अधीन अपील निर्णय पर दिनांक 02/06/2017 अंकित की गयी है; परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को निर्णय दिनांक 12/06/2017 को बताया गया तथा अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 12/06/2017 को नकल लेने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 13/06/2017 को नकल दी गयी, उसके पश्चात् जानकारी से अपील अन्दर मियाद नियमानुसार न्याय शुल्क पर प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार–फुलेरा, निर्णय दिनांक मुख्यालय–सांभरलेक, जिला– जयपुर का 02/06/2017 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 को बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जावें ।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया अप्रार्थीगण के पिता लादूराम के नाम ग्राम हिरनोदा में खसरा नं. 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। स्व. लादूराम की पत्नी रूकमा देवी, अपने पति के ग्राम हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में अपने पति लादूराम पुत्र देवा की मृत्यु, दिनांक 12.10.1972 के तुरन्त बाद लगभग 40 वर्ष पूर्व अपनी अवयस्क तीन पुत्रियों रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी एवं पुत्र पूरणमल आयु 3 वर्ष को साथ लेकर किशनगढ चली गई। उसकी अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुये लादूराम के उक्त वर्णित पांचो वारिसों के स्थान पर अपीलान्ट रामेश्वर लाल, वंशीलाल, हनुमान पुत्रान घीसा व छीतरमल पुत्र श्योकरण द्वारा तत्कालीन सरपंच से साज़ कर एक छदम व्यक्ति रूपनारायण जो कि अस्तित्व में ही नहीं है, के नाम नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25.10.1975, तस्दीक करवाया। बाद में उसी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तकरण के आधार पर हनुमान व छीतर के सहयोग से एक बेचाननामा दिनांक 07.01.1989 रूपनारायण द्वारा बंशीलाल व रामेश्वर पुत्र घीसा के हक में निष्पादित करवाकर प्रार्थीगण की जमीन हडप ली। चूंकि नामान्तकरण पंचायत द्वारा बिना लादूराम पुत्र देवा के वारिसों की जांच किये, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत, विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक किया गया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.05.2016, में निरस्त कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 196 शुरू से ही प्रभावशून्य होने के कारण उस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होती है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण को विवादित भूमि का वारिस बताते हुये पत्रावली में उपलब्ध निम्न दस्तोवजो का अवलोकन करवाया गया :– (1) ग्राम पंचायत हिरनोदा द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2015 (2) लादूराम के वारिसों की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.02.2017 हल्का पटवारी हिरनोदा (3) लादूराम के वारिसो की जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 हल्का गिरदावर हिरनोदा (4) पूरणमल पुत्र लादूराम मतदाता पहचान पत्र दिनांक 27.06.2001 (5) पूरणमल पुत्र लादूराम मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2008 (6) कमला देवी पनि पूरणमल मतदाता पहचान पत्र दिनांक 27.06.2001 (7) गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड पूरणमल पुत्र लादूराम (8) निर्वाचक नामावली दिनांक 05.01.1998 पूरणमल पुत्र लादूराम, कमला देवी पत्नी श्री पूरणमल, रूकमा देवी पत्नी लादूराम (9) अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. दिनांक 10.06.2015 हेमराज पुत्र पूरणमल (10) इकरारनामा बेचान आबादी भूमि दिनांक 09.03.1995 रूकमा देवी पत्नी लादूराम व पूरणमल पुत्र लादूराम (11) टी.सी. स्कूल सरकारी दिनांक 16.05.1969 रतनी देवी पुत्री लादूराम (12) टी.सी. स्कूल सरकारी दिनांक 15.05.1972 मुन्नी देवी पुत्री लादूराम (13) अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान दिनांक 30.06.1987 चन्दा देवी पुत्री लादूराम । उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं उनके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र के आधार पर लादूराम की पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु दिनांक 14.04.1996 को हो चुकी है एवं पुत्र पूरणमल की मृत्यु दिनांक 17.12.2008 को हो चुकी है। अप्रार्थीगण के अनुसार उक्त वर्णित 13 दस्तावेज जिनमें पंचायत का शजरा प्रमाण पत्र व हल्का पटवारी व गिरदारवर की जांच रिपोर्ट शामिल है के अनुसार नामान्तकरण सं. 196 खोले जाने के समय लादूराम के वारिसो में उसकी पत्नि रूकमा देवी, तीन अवस्यक पुत्रीयां रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी तथा एक अवस्यक पुत्र पूरणमल आयु 6 वर्ष थी। अर्थात पांच वारिस थे, जो प्रत्येक 1/5 हिस्से के हिस्सेदार थे। दिनांक 14.04.1996 में पत्नि रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात इसकी विरासत से जीनो पुत्रीयां रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी एवं पुत्र पूरणमल प्रत्येक बराबर हिस्से के वारिस है तथा दिनांक 17.12. 2008 को पूरणमल की मृत्यु के बाद उसकी विरासत में पूरणमल के स्थान पर उसकी पत्नी कमला देवी व पुत्र हेमराज वारिस होना बताया तथा वर्तमान में लादूराम की विरासत में निम्न जायंदा वारीसान होना बताया गया। 1. रतनी देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी गुलाब चन्द, निवासी–ए–17/339, प्रताप नगर, लेवर कॉलोनी, भीलवाडा, राज. 2. मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी सुवालाल, निवासी–एम–51, संजय नगर, अजमेर रोड, जयपुर। 3. चन्दा देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी श्री बिहारी लाल, निवासी– बेगस, तहसील व जिला जयपुर । 4. कमला देवी पत्नी स्व. श्री पूरण मल एवं हेमराज पुत्र स्व. श्री पूरणमल, निवासी–मदनगंज किशनगढ, अजमेर होना बताया। इस प्रकार लादूराम की विरासत में वर्तमान में :1) रतनी देवी (2) मुन्नी देवी (3) चन्दा देवी (4) कमला देवी एवं हेमराज बराबर हिस्सा 1/4 के प्रत्येक वारिस हैं। प्रार्थीगण द्वारा लादूराम के पुत्र का नाम पूरणमल होने के संबंध पत्रावली पर उपलब्ध उक्त वर्णित 8 (आठ) दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करवाया जिनमें लादूराम के पुत्र का नाम पूरणमल अंकित है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज करारनामा दिनांकित 09.03.1995 में भी लादूराम के पुत्र का नाम पूरणमल ही अंकित हैं अपीलान्ट द्वारा एक भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिसमें लादूराम के पुत्र का नाम रूपनारायण उर्फ पूरणमल अंकित हो। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरण संख्या 196 लादूराम के पांच वारिसों के स्थान पर एक व्यक्ति के नाम पर खुलवाया उस समय लादूराम के पुत्र की आयु 6 वर्ष थी और वह अवयस्क था, ऐसे मे उसके नाम पर, नियमानुसार "पूरणमल पुत्र लादूराम जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रूकमा देवी नामान्तकरण तस्दीक होना चाहिये था" लेकिन अपीलान्ट ने जानबूझकर तत्कालीन सरपंच से साज कर एक अव्यस्क छदम व्यक्ति रूपनारायण के नाम पर गलत नामान्तकरण खुलवाया, जिससे उनको लादूराम की जमीन हड़पने में आसानी रहे। बाद में उसी नामान्तकरण के आधार पर बेचान करवाकर लादूराम की कृषि भूमि अपने नाम हस्तान्तरित करवाकर हड़प ली। अपीलान्ट द्वारा तैयार गलत विक्रय पत्र दिनांक 07. 01.1989 में रूपनारायण की आयु 25 वर्ष, निवास ग्राम हिरनोदा अंकित है जबकि उस समय पूरणमल की आयु मात्र 19 वर्ष थी, निवास मदनगंज किशनगढ है। यदि रूपनारायण व पूरणमल एक ही व्यक्ति होते तो उनकी आयु व निवास में समानता होनी चाहिए थी सकिन उक्त दोनों में कोई समानता नहीं है। शजरा प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2015 ग्राम पंचायत हिरनोदा द्वारा एवं हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में लादूराम पुत्र पूरणमल स्पष्ट रूप से अंकित है। शजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हिरनोदा वारिसों की जांच के संबंध में वैध दस्तावेज है तथा हल्का पटवारी द्वारा फौती नामान्तकरण इसी के आधार पर भरा जाता है। अपीलान्ट द्वारा रूपनारायण व पूरणमल एक ही व्यक्ति होने संबंधी आधार, गिरदावर जांच रिपोर्ट व पुलिस अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन को बनाया है। जहाँ तक पुलिस अनुसंधान के अंतिम प्रतिवेदन का प्रश्न है उसे प्रार्थीया मुन्नी देवी द्वारा न्यायालय में चुनौती दे रखी है और न्यायालय में उसका अग्रिम अनुसंधान का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जहाँ तक कैबियट नोटिस में कमला देवी व हेमराज के नाम के आगे रूपनारायण का नाम लिखे जाने का संबंध है वह सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपीलान्ट की अपील के टाईटल के अनुसार लिखा गया है, जबकि उसका असली नाम पूरणमल ही है। गिरदारवर हल्का की जांच रिपोर्ट में अनियमितता व कमियां बताई गयी कि हल्का गिरदावर द्वारा वारिसों की जांच पंचायत की बैठक दिनांक 05.04.2017 को की गई, लेकिन उसमें किसी पंचायत के जन प्रतिनिधि, पंच, सरपंच सरकारी प्रतिनिधि हल्का पटवारी, ग्राम सचिव जो कि उस समय वहां मौजूद थे उनमें से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। गिरदावर जांच रिपोर्ट में बेचानानामा, दिनांक 07.01.1989 जिसके आधार पर प्रार्थीगण की जमीन हडपी उसके गवाह हनुमान व छीतर मल के हस्ताक्षर है। जाच रिपोर्ट उन्ही के बयान पर तैयार होने से, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जांच में अपीलान्ट रामेश्वर व मदन लाल ने अपने शपथ पत्र के पैरा संख्या 2 में लादूराम के स्वर्गवास (दिनांक 12.10.1972) के बाद से उसके वारिस रूकमा देवी, पूरणमल, मदनगंज किशनगढ में रहने लगे थे। फर्द मौका जांच गिरदावर दिनांक 05.04.2017 के मध्य में अंकित है कि "लादूराम के वारिसान लगभग 40 वर्ष पूर्व ही हिरनोदा से मदनगंज किशनगढ़ चले गये।" इसके बावजूद गिरदावर द्वारा जांच लादूराम के पुत्र के नाम के संबंध में उसके परिवार, रिश्तेदार एवं मदनगंज किशनगढ जहां उसका परिवार रहता है, वहां करनी चाहिए थी लेकिन जांच हिरनोदा में की गयी जहां उसका परिवार रहता ही नहीं है। फर्द मौका जांच रिपोर्ट में जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उनके पिता का नाम, आयु, गांव का नाम अंकित नहीं किया है, जिससे उनकी सही पहचान हो सके, कि किन–किन लोगों से पुछताछ कर जांच रिपोर्ट तैयार की थी। फर्द मौका जांच 05.04.2017 की है जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 को दो दिन बाद तैयार की, जो कि उसी समय तैयार होनी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त वर्णित जांच रिपोर्ट जिस तरह से तैयार की गई है, उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई जांच रिपोर्ट विश्वसनीय, निष्पक्ष एवं विधि सम्मत नहीं होने से उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। एवं नामान्तकरण संख्या–196 शुरू से ही प्रभाव धून्य था एवं उसके आधार पर किये गये समस्त संव्यवहार भी प्रभाव शून्य है। इस आधार पर लादूराम की विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थीगण के नाम पर तस्दीक किया जाने पर निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभर लेक ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.06.2017 से यह निर्णय पारित किया गया कि लादू की विरासत में उसकी पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात तीन पुत्रियों व एक पुत्र होना जाहिर है। लादू के पुत्र का नाम रूपनारायण या पूरणमल अथवा दोनों एक ही व्यक्ति होने संबंधी विवाद के संबंध में हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात निर्णय अनुसार तथा शेष हिस्सा 3/4 का नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः लादू पुत्र देवा जाति बलाई निवासी

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

हिरनोदा के नाम ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नं0 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा में लादू की विरासत का नामान्तरकरण रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी पुत्रीया लादू हिस्सा 3/4 हि.ब. के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा शेष हिस्सा 1/4 वर्तमान जमाबंदी अनुसार अपीलांट मदनलाल पुत्र बंशीलाल व रामेश्वर लाल पुत्र घीसाराम बलाई सा.देह के नाम यथावत रहेगा के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर दिनांक 02.06.2017 पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद विवादित आराजी खसरा नं. 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा की आराजी में खातेदार लादू पुत्र देवा जाति बलाई के वारिसों को लेकर है। लादूराम की विरासत में नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1975 को खोले जाने के समय उसकी पत्नि रूकमा देवी 3 पुत्रियाँ रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी एवं एक पुत्र कुल पांच वारिस थे। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं अपीलान्ट में कोई विरोधाभास प्रतीत नही हुआ, लेकिन विरोधाभास लादू के पुत्र के नाम को लेकर है। अप्रार्थीगण एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लादू के पुत्र का नाम पूरणमल होना तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत पुलिस अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन एवं हल्का गिरदावर की जाँच के अनुसार रूपनारायण उर्फ पूरणमल बताया गया है। इस प्रकार खसरा संख्या 702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा के खातेदार लादू पुत्र देवा की विरासत कुल 5 वारिस थे। जिनमें पत्नि रूकमा देवी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त तीन पुत्रियाँ व एक पुत्र कुल चार वारिस होना जाहिर है। पक्षकारान में पुत्रियों के नाम पर कोई विवाद नहीं है। परन्तु पुत्र का नाम रूपनारायण है या पूरणमल अथवा दोनो एक ही व्यक्ति होने संबंधी विवाद जाहिर हुआ है । लादू की विरासत में उसकी पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात तीन पुत्रियां व एक पुत्र होना जाहिर है। लादू के पुत्र का नाम रूपनारायण या पूरणमल अथवा दोनों एक ही व्यक्ति होने संबंधी विवाद के संबंध में पक्षकारान सक्षम न्यायालय में कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। लादू की विरासत में हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात् निर्णय अनुसार तथा शेष हिस्सा 3/4 का नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों रतनीदेवी, मुन्नीदेवी व चन्दादेवी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः लादू पुत्र देवा जाति बलाई निवासी हिरनोदा के नाम ग्राम हिरनोदा तहसील भुलेरा, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नं. 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा में लादू की विरासत का नामान्तरकरण रतनीदेवी, मुन्नीदेवी व चन्दा देवी पुत्रीया लादू हिस्सा 3/4 हि.ब. के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा शेष हिस्सा 1/4 वर्तमान जमाबंदी अनुसार अपीलांट मदनलाल पुत्र बंशीलाल व रामेश्वर ताल पुत्र घीसाराम बलाई सा.देह के नाम यथावत रहेगा के आदेश पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से ही मिल सकता है। ऐसी स्थिति में कदीमी रिकॉर्डेड खातेदार या उसके प्रति स्थापन को समरी प्रकिया/नामान्तरकरण के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से मिल सकता है। साथ ही नामान्तरकरण एक **fiscal proceeding** है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 पारित किया है। जिसमे कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 02.06.2017 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर